न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-680RAAJodhpur2025-187RTA225 Bhanwarsingh Vs Krishnaram etc

भंवरसिंह पुत्र आसुसिंह जाति राजपुत निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. कृष्णराम पुत्र जेमलराम जाति मेगवाल निवासी समेला का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
2. पुनित कुमार घाटीवाल पुत्र गौतम चंद निवासी– सुंदर नगर चौहटन।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 07/2021 अनवान कृष्णराम बनाम राज्य सरकार

उपस्थित–
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2021 अनवान कृष्णराम बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 1657/1 रकबा 24.09 बीघा ग्राम गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में आवागमन हेतु राज्य सरकार की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1652 रकबा 08.07 बीघा वर्तमान किस्म गैरं मुमकिन गौचर में से प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुसार रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलकर्ता ग्राम गुड़ामालानी का एक जागरूक नागरिक है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की आड़ में उत्तरदाता संख्या 1 गोचर भूमि व तालाब की भूमि पर जबरन कब्जा कर उस पर रोड का निर्माण करवाने पर उतारू है तथा तालाब का आज का अस्तित्व समाप्त करने पर उतारू है। अगर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में उक्त तालाब व गोचर भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवा दिया जाता है तो अपीलकर्ता व अन्य ग्रामवासीयो को भारी नुकसान कारित होगा जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं की जा सकेगी। अपीलाधीन आदेश से अपीलकर्ता के हित प्रभावित हो रहे है, इस कारण अपीलांट अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में गोचर भूमि व तालाब की भूमि पर मिट्टी डालकर उसका अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया जाने लगा, जिस पर अपीलकर्ता को जानकारी होने पर उसके द्वारा आपति की गई तथा तहसीलदार को अतिक्रमण करने से रोकने बाबत् आवेदन दिया गया। तब उतरदाता संख्या 1 ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दी। तब अपीलकर्ता को अपने हक हकुक संशय में लगने पर अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय से पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 20.11.2025 को आवेदन किया जो नकल दिनांक 24.11.2025 को प्राप्त हुई। नकल मिलने पर यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने के आदेश फरमावे।

गुणावगुण पर वकील अपीलांट नें अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया तथा जो मौका कमिश्नर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह गौके के निरीक्षण करने के पश्चात् मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन विप्रार्थी उत्तरदाता संख्या 3 ने उत्तरदाता संख्या 1 से सांठगांठ करते हुए मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा उसमें बताया गया कि मौके पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है तथा प्रार्थीगण पिछले 6 वर्षो से उक्त कटाण मार्ग का उपयोग कर रहा है, जबकि वास्तव में उक्त खसरा नम्बर 1652 में 8 बीघा 07 बिस्वा भूमि जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1990/1915 गैर गुमकिन गोचर जो प्रतिबन्धित भूमि है, जिस पर किसी प्रकार का हस्तान्तरण आंवटन नहीं किया जा सकता है। फिर भी तहसीलदार ने रास्ते के उपयोग हेतु बताकर मौका रिपोर्ट विधि के विरूद्ध जाकर प्रस्तुत की गई है। गोचर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ग्राम खोथ मुद्रांक विक्रेता, बाड़मेर
9672798075, 9571868075

भूमि खसरा नम्बर 1990/1915 व तालाब की भूमि खसरा नम्बर 1660 जो रावत नाडा के नाम से सार्वजनिक तालाब की भूमि है, जिसमें पशुओ द्वारा पानी पीया जाता है, जिसमें उत्तरदातागण द्वारा अतिक्रमण कर तालाब व गोचर भूमि में रास्ता निकाल दिया है। इस कारण तालाब व गोचर भूमि का संरक्षण खत्म हो गया तथा नाप से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते की आड में नदी की रेत डालकर तालाब भर दिया गया है। ग्राम पचायत द्वारा दिनांक 01.08.2023 को तहसीलदार को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि से कब्जा हटाने का निवेदन किया गया था, लेकिन उस पर कोई जवाब नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में उत्तरदाता संख्या 3 की रिपोर्ट पर विचार किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। प्रार्थी/उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा खेत खसरा नम्बर 1657/1 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा बारानी दोयम में आवागमन हेतु धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत रास्ते की मांग की थी, लेकिन उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को कंवर्ड करवाकर उसका बेचान कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तव में अपीलकर्ता को अपने खातेदारी खेतो में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक की भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या एक व तीन को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि वक्त निर्णय खसरा नंबर 1652 की भूमि की किस्म बारानी दोयम दर्ज थी जो किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं थी। उक्त खसरान् की भूमि की हाल ही में क्षतिपूर्ति के रूप में किस्म परिवर्तित की जाकर गोचर दर्ज की गई है जो अपीलाधीन आदेश पारित होने की पश्चातवर्ती कार्यवाही है। कानूनन पश्चातवर्ती कार्यवाही की आड़ में पूर्व पारित आदेश को विधिविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट न तो विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित था तथा न ही वह उक्त खसरे की भूमि का खातेदार दर्ज है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने से उसे हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1657/1 रकबा 24.09 बीघा में आवागमन हेतु राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 1652 रकबा 08.07 किस्म बारानी दोयम में से रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संस्थित किया जाकर अप्रार्थी/तहसीलदार गुड़ामालानी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा रास्ते की भूमि की किस्म बारानी दोयम बतायी गई है तथा अपीलाधीन रास्ते का रेस्पो. संख्या एक के आवागमन हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट का हस्तगत अपील में मुख्य तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किस्म/गैर मुमकिन गौचर की भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख से साबित है कि वक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति उक्त भूमि की किस्म बारानी दोयम दर्ज थी तथा अपीलाधीन निर्णय की पालना में नामांतरकरण संख्या 2431 दिनांक 13.09.2021 स्वीकृत किया जाकर रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है। बाद में क्षतिपूर्ति के रूप में अक्त आराजी चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 2495 दिनांक 10.08.2022 के जरिये उक्त आराजी गैर मुमकिन गौचर दर्ज की गई है। अदालत हाजा रेस्पो. के इस कथन से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित होने की पश्चातवर्ती कार्यवाही के आधार पर अपीलाधीन आदेश की विधिकता पर किसी प्रकार का उज्र नहीं उठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार किसी प्रकर से प्रभावित नहीं होने से वह हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही ठहरता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अनुमति बाधित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2021 अनवान कृष्णराम बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम विशेष अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर